ऑन लाईन नं. GCMS 2024/22

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुमाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह — (विक्रेता व मालिक)—
   मै.— रोहित मिष्ठान भंडार, परनामी मंदिर के पास, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय दिनांकः 02.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नमूना संग्रहण के दिवस गजट नोटिफिकेशन कंमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा. / ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान दिन क्रमांक– प. 5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक– आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था./2023/10077 दिनांक 26.12.2023 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.11.2023 को समय शाम 3:30 बजे को **मैसर्स रोहित मिष्ठान भण्डार, गोशाला रोड़, परनामी मन्दिर के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** के कारखाना पर पहुँचे, मौके पर **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स रोहित मिष्ठान भण्डार, परनामी मन्दिर के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** को अपना परिचय दे कर संस्थान में 10 पीपों के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पत्ति निर्मित)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में 10 पीपों के अन्दर रखे 150 किलोग्राम खाद्य पदार्थ गुलाब **जामुन मिठाई (वनस्पत्ति निर्मित)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पत्ति निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पत्ति निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति निर्मित)** 02 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का नगद भुगतान 300 रुपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति निर्मित)** को एकरुप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2112** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप न **के–2112** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1909/Act/2023/1909 Dated 22.11.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2112 Substandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोवारकर्ता **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक)** को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोवारकर्ता ने पुनः जाचं का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स रोहित मिष्ठान भण्डार, परनामी मन्दिर के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 जिस प्रकार से अंकित की गई है। जवाब की आवश्यकता नहीं है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 के अनुसार मुझ प्रार्थी की दुकान में दिनांक 08.11.2023 को दोपहर 3:00 बजे 10 पीपी में रखे लगभग 150 किलोग्राम खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन मिठाई का सैम्पल भरा गया था। बल्कि प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि श्रीमान प्रार्थी केवल इन मिठाईयों का बेचान का कार्य करता है ना कि मिठाई बनाता है व ना ही खुद तैयार करता है। उक्त गुलाब जामुन हमारे किसी अन्य जगह से कय कर आगे बेचान किये जाते हैं। जबकि उक्त गुलाब जामुन के सैम्पल का प्रार्थी के द्वारा कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–4 जिस प्रकार से अंकित की गई है अस्वीकार है। प्रार्थी के पास कथित रूप से आये अधिकारियों द्वारा केवल खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाये गये ना तो कोई रिपोर्ट बनाई गई व ना ही यह कहा गया कि तुम उक्त मिठाई कहां से लेकर आते हो जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त के संबंध में अपने सारे दस्तावेज दिखाये गये व बिल दिखाये गये।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त गुलाब जामुन आये हुए आला अधिकारी को यह बताकर दिये कि सर हम तो केवल के उक्त का बेचान करते हैं न कि उक्त गुलाब जामुन बनाते हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

7. 7. यह कि मौके पर मेरे सामने कोई फर्द और रिपोर्ट बनाई हो ऐसा मेरे को पता नहीं है ना ही उन्होंने वहां पर किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार कर दिखाई हो।

8. यह कि प्रार्थी द्वारा मद संख्या 8 में जो भी कार्यवाही की गई है वह उनके द्वारा अपने कार्यालय में पहुंचकर की गई है जिसकी मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं है उसके संबंध में मुझे ना ही तो कोई सूचना दी गई है और ना ही कोई रिपोर्ट दी गई है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–09 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–11 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

12. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–12 के अनुसार प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है क्योंकि प्रार्थी उक्त सामान का केवल विक्रेता है न कि उक्त सामान को वह स्वयं बनाता है।

अतः जिस प्रकार से प्रार्थी पर मिलावट खोरी का आरोप लगाया गया है बिल्कुल निराधार है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। क्योंकि प्रार्थी केवल मिठाईयों का विक्रेता है व ना ही प्रार्थी मिठाई बनाता है।

राज पैरोकार ने अपनी वहस में वताया कि अभियुक्त से लिया गया **गुलाब जामुन मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का सैम्पल **K-2112** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैवोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक–L.S./1909/Act/2023/1909 Dated 22.11.2023 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन),
श्रीगंगानगर (राज.)

एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 जिस प्रकार से अंकित की गई है। जवाब की आवश्यकता नहीं है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 के अनुसार मुझ प्रार्थी की दुकान में दिनांक 08.11.2023 को दोपहर 3:00 बजे 10 पीपी में रखे लगभग 150 किलोग्राम खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन मिठाई का सैम्पल भरा गया था। बल्कि प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि श्रीमान प्रार्थी केवल इन मिठाईयों का बेचान का कार्य करता है ना कि मिठाई बनाता है व ना ही खुद तैयार करता है। उक्त गुलाब जामुन हमारे किसी अन्य जगह से कय कर आगे बेचान किये जाते हैं। जबकि उक्त गुलाब जामुन के सैम्पल का प्रार्थी के द्वारा कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–4 जिस प्रकार से अंकित की गई है अस्वीकार है। प्रार्थी के पास कथित रूप से आये अधिकारियों द्वारा केवल खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाये गये ना तो कोई रिपोर्ट बनाई गई व ना ही यह कहा गया कि तुम उक्त मिठाई कहां से लेकर आते हो जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त के संबंध में अपने सारे दस्तावेज दिखाये गये व बिल दिखाये गये।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त गुलाब जामुन आये हुए आला अधिकारी को यह बताकर दिये कि सर हम तो केवल के उक्त का बेचान करते हैं न कि उक्त गुलाब जामुन बनाते हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

7. 7. यह कि मौके पर मेरे सामने कोई फर्द और रिपोर्ट बनाई हो ऐसा मेरे को पता नहीं है ना ही उन्होंने वहां पर किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार कर दिखाई हो।

8. यह कि प्रार्थी द्वारा मद संख्या 8 में जो भी कार्यवाही की गई है वह उनके द्वारा अपने कार्यालय में पहुंचकर की गई है जिसकी मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं है उसके संबंध में मुझे ना ही तो कोई सूचना दी गई है और ना ही कोई रिपोर्ट दी गई है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–09 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–11 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

12. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–12 के अनुसार प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है क्योंकि प्रार्थी उक्त सामान का केवल विकेता है न कि उक्त सामान को वह स्वयं बनाता है।

अतः जिस प्रकार से प्रार्थी पर मिलावट खोरी का आरोप लगाया गया है बिल्कुल निराधार है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। क्योंकि प्रार्थी केवल मिठाईयों का विक्रेता है व ना ही प्रार्थी मिठाई बनाता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Gulab Jamun (Made in Vnaspati)** bearing code No. K-2112 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as extracted fat does not conform the standards of Vanaspati** as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स रोहित मिष्ठान भण्डार, परनामी मन्दिर के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स रोहित मिष्ठान भण्डार, परनामी मन्दिर के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।